



2026:AHC:174544

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8568 सन् 2026

सरोज तिवारी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

प्रार्थी हेतु अधिवक्तागण

: जितेन्द्र नाथ तिवारी, प्रभात कुमार सिंह

विपक्षी हेतु अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय क्रमांक-72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- (1) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुने गए तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- (2) वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 315 सन् 2026, अन्तर्गत धारा 80(2), 85, 352, 351(3) भा.ना.सं. थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर में, उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- (3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। अभिकथित अपराध से उसका कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। प्रार्थी मृतका की सास है। अभिकथित घटना दिनांक 5.7.2026 को घटित होना कही गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 8.7.2026 को दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में तीन दिन के विलम्ब को प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सामान्य एवं सर्वग्राही आरोप लगाए गए हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अभिकथित है कि पति, ससुर एवं देवरों ने मृतका को विष सेवन करने हेतु

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बाध्य किया। प्रार्थी के विरुद्ध यह नहीं कहा गया है कि वह अभिकथित घटना की तिथि को उपस्थित थी। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थी कैंसर रोगी है तथा घटना की तिथि को वह नोएडा में उपस्थित थी। वह विगत 16 सप्ताह से चिकित्सीय उपचार करा रही है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान प्रार्थना पत्र के साथ अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न प्रार्थी के चिकित्सीय अभिलेखों की ओर आकृष्ट किया। चिकित्सीय अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी का चिकित्सीय उपचार विगत 16 सप्ताह से मैक्स हॉस्पिटल, नोएडा में चल रहा था। पति-रवि कुमार तिवारी तथा देवर (जेठ)-पवन कुमार तिवारी पूर्व से ही अभिरक्षा में हैं। प्रार्थी का मामला अन्य सह-अभियुक्तों के मामले से भिन्न है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि प्रार्थी विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देती है तथा विवेचना अभिकरण अथवा सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होगी। यह भी कथन किया गया है कि यदि प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी, विवेचना में सहयोग करेगी तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन करेगी।

(4) दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू को विवादित नहीं किया।

(5) मैंने दोनों पक्षों के प्रतिस्पर्धी निवेदनों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

(6) **सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (एन0सी0टी0 दिल्ली) तथा अन्य; (2020) 5**

एस0सी0सी0 1 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा साक्षियों को धमकाने सहित साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की सम्भावना, देश छोड़कर जाने जैसे न्याय से बचकर भागने की सम्भावना आदि पर विचार करना होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को अग्रिम जमानत प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने पर विचार करते समय, सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गम्भीरता, प्रार्थी को अभिरोपित भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारणीय बिन्दुओं से निर्देशित होना चाहिए। प्रदान करना अथवा न करना विवेकाधिकार का विषय है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (7) **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य; (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 676** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षा में विवेचना आवश्यक हो जाए अथवा यह एक जघन्य अपराध हो अथवा जहाँ साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की सम्भावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी विधिसम्मत होने के कारण की जा सकती है, यह अनिवार्य नहीं करता कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तार करने की शक्ति के अस्तित्व एवं उसके प्रयोग के औचित्य के मध्य भेद किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाए, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्म-सम्मान को अपरिमेय क्षति पहुँचा सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवज्ञा करेगा तथा वस्तुतः उसने पूरे समय विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।
- (8) अग्रिम जमानत से सम्बन्धित सुस्थापित विधिक सिद्धान्त, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदनों, अभियोग की प्रकृति, प्रार्थी की भूमिका तथा मामले की समस्त सुसंगत तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत हेतु मामला बनता है।
- (9) तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित निदेशों के साथ **अनुमत** किया जाता है:-
- (i) उपर्युक्त मामले में सम्मिलित प्रार्थी-**सरोज तिवारी** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण के निष्कर्ष तक अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाएगा, इस शर्त पर कि वह सम्बन्धित थाने के थाना प्रभारी अथवा सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए ₹0 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करे;
 - (ii) प्रार्थी विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगी तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित किए जाने पर विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगी;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) प्रार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रखने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगी; तथा

(iv) प्रार्थी न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

(10) उपर्युक्त शर्तों में से किसी की चूक अथवा दुरुपयोग की दशा में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी, प्रार्थी को प्रदत्त अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समुचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 19 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला